चाय को उपभोक्ता वस्तुओं की सूची में से निकाला जाना

@2474. **सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :**

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने चाय को आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं की सूची में से निकाल देने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि चाय ा उपयोग निम्न आय और उच्च आय ले, दोनों ही वर्गों के लागों द्वारा किया ाता है ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार चाय के मूल्यों में स्थिरता को बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाने का विचार रखती है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० आर० दास मुंशी) : (क) सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत आने वाली आवश्यक वस्तुओं की सूची में से चाय को निकालने के संबंध में कोई निर्णय नहीं किया है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी, हां ।

(घ) देश में घरेलू खपत तथा निर्यात आवश्यकता दोनों के लिए चाय की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए टी बोर्ड ने चाय का उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि के लिए कदम उठाये हैं । इनमें शामिल हैं :—

(1) चाय बागान वित्त योजना :— पुनर्रोपण, विस्तार रोपण, प्रतिस्थापन के लिए टी बोर्ड के ऋण ।

(2) चाय मशीनरी और सिंचाई मशीनरी की किस्त खरीद योजना :— सिंचाई मशीनरी और चाय मशीनरी के लिए टी बोर्ड के ऋण ।

(3) चाय क्षेत्र नवीकरण और चकबन्दी योजना :—नवीकरण छटाई और अतःसरण के लिए आर्थिक सहायता ।

(4) पुरानी झाड़ियों के पुनर्रोपण के लिए चाय पुनर्रोपण आर्थिक सहायता ।

(5) नए चाय एकक वित्त योजना :— अपरंपरागत क्षेत्रों में चाय की खेती के लिए विस्तार के लिए विशेष ऋण और आर्थिक सहायता ।

(6) दार्जिलिंग ब्याज आर्थिक सहायत योजना :—उत्पादन की अधिक लागत के कारण परेशान दार्जिलिंग बागानों के पुनरुद्धार के लिए विशेष योजना । बैंकों और टी बोर्ड द्वारा 9,500 हैक्टेयर क्षेत्र के लिए 5.1 प्रतिशत ब्याज आर्थिक सहायता ।

(7) सिंचाई और निकासी के लिए बैंक ऋण पर ब्याज आर्थिक सहायता योजना ।

(8) रोपण के विस्तार के लिए बैंक ऋण पर ब्याज आर्थिक सहायता योजना ।

(9) निवेश जमा खाता योजना :— चाय कम्पनियां अपने लाभ का 20 प्रतिशत नाबार्ड में कर मुक्त जमा करा सकती हैं, जो कि बाद में उत्पादक उद्देश्यों के लिए प्रयोग किया जा सकता है ।

FERA violation and excise duty evasion cases

2475. SHRI M. S. GURUPADASWAMY: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that several cases pertaining to FERA violations are pending with the Enforcement Directorate;

@पूर्वत: अतारांकित प्रश्न 1770, 25 नवम्बर, 1988 से स्थानान्तरित ।